भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-।।
खण्ड-3 (iii) में दिनांक 22 सितंबर, 2018 को प्रकाशनार्थ

आंध्र प्रदेश राज्य के राजपत्र के असाधारण
अंक में दिनांक 22 सितंबर, 2018 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 282/आंध्र प्रदेश/2018 (परिसीमन) दिनांक: 22 सितंबर, 2018
31 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

यत:, भारत के राजपत्र में दिनांक 09-03-2014 को प्रकाशित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 की सं 6)(इसमें इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम के रूप में संदर्भित) के द्वारा तत्कालीन मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य को, नियत तारीख, जिसे बाद में 2 जून 2014 के रूप में अधिसूचित किया गया था, से उक्त अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ तेलंगाना के नए राज्य का राज्य क्षेत्र निर्मित करते हुए और पहले वाले अविभक्त आंध्र प्रदेश राज्य के शेष क्षेत्र से आंध्र प्रदेश का उत्तरवर्ती राज्य निर्मित करते हुए, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के दो उत्तरवर्ती राज्यों में विभक्त किया गया था, और

यत:, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों उत्तरवर्ती राज्यों की संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम एवं विस्तार पुनर्गठन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए थे और निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार वही है जो अविभक्त आन्ध्र प्रदेश के संबन्धित निर्वाचन क्षेत्रों का था; और

यत:, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 108 की शर्तों के अनुसार दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को जारी किए गए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2015 के द्वारा यह उपबंधित किया गया था कि कुकुनूर, वेलैरपाडु एवं बरगमपहाडं मंडलों परंतु जिसमें पिनापाका, मोरामपल्ली बंजार, भुरगमपाड, नागीनेनीपरोलु, किसनसागर, टेकुला, सरापाका, इरेवेन्डी, मोथेपट्टीनगर, उपुसाका, सोमपल्ली के राजस्व ग्राम और पालवंचा राजस्व प्रभाग का नकरी पेट्टा शामिल नहीं हैं तथा चिंतूर, कुनावरम्, वी.आर.पुरम और भद्राचलम के मंडल परंतु जिसमें खम्माम जिले के भद्राचलम राजस्व प्रभाग के अंतर्गत भद्राचलम गांव शामिल

नहीं हैं, उत्तरवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी एवं पश्चिम गोदावरी जिलों को हस्तान्तारित कर दिए गए थे; और

यत:, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच उक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश की दिनांक 17.05.2015 की अधिसूचना संख्या 42/15 का संदर्भ देते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 सितंबर, 2018 के अपने पत्र संख्या 12012/01/2014-एसआर(पार्ट ।।।) के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य को हस्तांतरित ''नल्लीपाका मंडल,'' जिसका नाम बदल कर अब ''येतपक्का मंडल'' हो गया है, तथा भद्राचलम मंडल के सभी ग्राम 53-रामपचोदावरम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाने हैं और छह राजस्व ग्राम सीतारामानगरम,

श्रीधारा वेलेयर, गुमपनापल्ली, गनापावरम, इब्राहिमपेट और रविगुडम (बड़ा), 67-पोलावरम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाने हैं; और

यत:, गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.09.2018 के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग से परामर्श करके यह संसूचित किया है कि आयोग, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 के अधीन संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में इस प्रयोजनार्थ आवश्यक अद्यतन कर सकता है; और

यत:, आयोग ने इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच कर ली है और इसका यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2015 और गृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2018 के पत्र सं. एफ.12012/01/2014-एसआर(पार्ट.III) के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य के 53-रामपचोदावरम(अ.ज.जा.) और 67-पोलावरम(अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के आदेश और गृह मंत्रालय के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 13 सितंबर, 2018 के पत्र में दिए गए आगे और स्पष्टीकरण के अनुसरण में अद्यतित किया जाना है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(ख) में यह परिकल्पना की गई है कि –

''जहां आदेश में उल्लिखित किसी जिले अथवा किसी प्रादेशिक डिवीजन की सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन किए जाते हैं अथवा किया जाता है, तो ऐसे संशोधन किए जाएं, जो आदेश को अद्यतित बनाने के लिए आवश्यक अथवा उचित प्रतीत हों''।

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त आदेश को अद्यतित बनाने के लिए आन्ध्र

प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

<u>सारणी</u>

***संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 की अनुसूची - III की सारणी – क में,* आन्ध्र प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया तथा पढ़ा जाएगा :-**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम सं. एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार
53-रामपचोदावरम (अ.ज.जा.)	मारेदुमिली, देवीपटनम, वाई. रामावरम, अड्डातीगाला, गंगावरम, रामपचोदावरम, राजावोममन्गी, कुनावरम, चिन्तुर, वी.आर.पुरम, मंडल और येतपक्का मंडल में सम्मिलित भद्राचलम राजस्व ग्राम को छोड़कर भद्राचलम मंडल के सभी राजस्व ग्राम ।

67-पोलावरम (अ.ज.जा.)	पोलावरम, बुट्टायागुडेम, जेलूगुमिल्ली, कोययालगुडेम, टी. नरसापुरम, वेल्लेयरपाडु मंडल और कुकुनूर मंडल में सम्मिलित राजस्व ग्राम सीतारामनगरम, श्रीधरा वेलेयर, गुमपनापल्ली, गनापावरम, इब्राहिमपेट और रविगुडम (बड़ा)।

आदेश से

(के.एन.भार)
प्रधान सचिव